Case Study-10

सुनील कुमार पांडेय
मुसतानि/इंजीनियरिंग

एक अनुबंध के अन्तर्गत सी0सी0 बिल में 5 मदों में बिना कार्य कराए भुगतान हेतु चढ़ाया जाना --

- पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में एक अनुबंध के अन्तर्गत भुगतान हेतु बनाये गये सी0सी0 बिल पर संदेह होने के पश्चात इस बिल मे दर्ज किए गए मदों का कार्यस्थल पर भौतिक सत्यापन किया गया । भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि, इस बिल के अधीन कुल 18 मदों का भुगतान किया जा रहा है जिसमें से 5 मदों का कार्य, स्थल पर पूर्ण नहीं किया गया है, लेकिन इन मदों को भी भुगतान हेतु प्रोसेस कर दिया गया है । इस कार्य हेतु मेजरमेंट बुक में चढ़ाए गए मेजरमेंट की जांच में यह पाया गया कि, संबंधित जूनियर इंजीनियर कार्य द्वारा जिन मदों का कार्य, कार्य स्थल पर पूर्ण नहीं हुआ था उनका भी रिकॉर्ड मेज़रमेंट, मेजरमेंट बुक में कर दिया गया था एवं मेजरमेंट बुक में यह सर्टिफिकेट दिया गया कि, इस बिल में भुगतान हेतु मदों की दर्ज की गई मात्रा, स्थल पर एक्जिक्यूट की गई मात्रा से अधिक नहीं है ।

- मेजरमेंट बुक के साथ प्रोसेस किए गए बिल की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि, इस कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मेजरमेंट बुक पर शत-प्रतिशत टेस्ट चेक का प्रमाण दर्ज किया गया था साथ ही साथ बिल पर भी कार्यपालक अभियंता द्वारा 100% का प्रमाण दर्ज किया गया था जबकि वास्तव में जिन 5 मदों का भुगतान इस बिल के अंतर्गत किया जा रहा था उनका कार्य स्थल पर पूर्ण ही नहीं हुआ था ।

- मुख्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश के अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा कम से कम अल्टरनेट बिलों की जांच स्थल पर जाकर किए जाने का प्रावधान दिया गया है लेकिन इस कार्य हेतु पूर्व में भुगतान किए गए बिलों की जांच के पश्चात यह पाया गया कि इसका अनुपालन संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है ।

- इस बिल की जांच संबंधित डिविज़नल एकाउंटेंट के द्वारा रविवार छुट्टी के दिन ही किया गया एवं इस पर अपने हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु इसे प्रोसेस कर दिया गया जबकि इस बिल का टेक्निकल चेक नहीं किया गया था । नियमानुसार बिल का टेक्निकल चेक हो जाने के उपरांत ही डिविज़नल एकाउंटेंट द्वारा बिल की जांच कर उसे भुगतान हेतु आगे प्रोसेस किया जाता है । कार्यालय अधीक्षक द्वारा इस बिल को टेक्निकल चेक किए जाने हेतु सर्वप्रथम संबंधित ड्राफ्ट्समैन को बिल पुट अप करना चाहिए था, लेकिन इनके द्वारा बिल का टेक्निकल चेक न कराते हुए इसे डिविज़नल एकाउंटेंट के पास सीधे भेज दिया गया जो नियमानुकूल नही था ।

  नियम अथवा अनुदेश मुख्यालय द्वारा इस आशय हेतु निर्गत किए जाते हैं ताकि जाने अनजाने में किसी एक स्तर पर हो गयी गलती को अगले स्तर पर रोका जा सके लेकिन जांच में यह पाया कि इस कार्य से संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गण द्वारा स्थापित नियम एवं समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशकों का पालन नहीं किया गया जिस कारण बिना कार्य कराये ही भुगतान हेतु बिल प्रोसेस किये जाने की घटना संज्ञान में आयी और किसी स्तर पर इसे ट्रेस नही किया जा सका ।

****